



सं. एफ.ए-12034/3/2025-ई-III अनुभाग
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली - 110016
www.ncert.nic.in

विज्ञापन संख्या 01-2025

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

रिक्ति सूचना

एनसीईआरटी मुख्यालय, नई दिल्ली और देश भर में स्थित इसकी संघटक इकाइयों में समूह 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों को अन्यत्र सेवा शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए भरने के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस अवधि को साल-दर-साल आगे बढ़ाया जा सकता है। विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	समूह	पद का नाम	वेतनमान/स्तर	पदों की संख्या	नियुक्ति का स्थान
1	ए	मुख्य उत्पादन अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 7600/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
2	ए	कला अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
3	ए	व्यवसाय प्रबंधक	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	2	आरपीडीसी अहमदाबाद और गुवाहाटी
4	ए	सहायक उत्पादन अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
5	ए	सहायक व्यवसाय प्रबंधक	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
6	ए	वरिष्ठ अभियंता	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	सीआईईटी, नई दिल्ली
7	बी	भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/-	2	एनआईई, नई दिल्ली
8	बी	फोरमैन	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	3	एनआईई, नई दिल्ली

9	बी	संपादकीय सहायक	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	2	प्रकाशन प्रभाग पद (अंग्रेजी-1, हिंदी-1), नई दिल्ली
10	बी	सहायक भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	1	एनआईई, नई दिल्ली
11	बी	कलाकार ग्रेड-II	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
12	सी	अर्ध व्यावसायिक सहायक	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	4	पुस्तकालय और प्रलेखन प्रभाग (एनआईई), नई दिल्ली
13	सी	भंडारपाल ग्रेड-I	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	8	एनआईई, नई दिल्ली
14	सी	कनिष्ठ फोरमैन	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	9	एनआईई, नई दिल्ली (शैक्षिक किट प्रभाग)
15	सी	कुशल मैकेनिक	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/-	7	एनआईई, नई दिल्ली (शैक्षिक किट प्रभाग)
16	सी	वरिष्ठ पुस्तकालय परिचर	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 1900/-	1	एनआईई, नई दिल्ली

आय सीमा : अधिकतम 56 वर्षों

पात्र और इच्छुक अधिकारी अनुलग्नक-I के अनुसार निर्धारित प्रारूप में उचित माध्यम से सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र और पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

पूरा आवेदन पत्र इस विज्ञापन के रोजगार समाचार में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर अवर सचिव, स्थापना-III अनुभाग, एनसीईआरटी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली – 110016 के पते पर पहुँच जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद अथवा अपेक्षित दस्तावेज के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और इससे संबंधित किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

पदों, पात्रता शर्तों, वेतनमान और अन्य निबंधन और शर्तों के लिए विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट www.ncert.nic.in के अंतर्गत >घोषणाएँ> रिक्तियाँ > गैर-शैक्षणिक पर उपलब्ध हैं।

प्रतिनियुक्ति आधार पर भरे जाने वाले पद हेतु आवेदन प्रपत्र
(आवेदक द्वारा भरकर उचित माध्यम से भेजा जाए)

1. आवेदित पद का नाम: _____

2. नाम (स्पष्ट अक्षरों में): _____

3. जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष में): _____

4. वर्तमान पद :

a) पदनाम: _____

b) कार्यालय/विभाग का नाम: _____

c) वर्तमान वेतन स्तर (7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार): _____

d) मूल वेतन: ₹ _____

स्व-सत्यापित
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का
फोटोग्राफ

5. क्या पद नियमित/एड-हॉक/प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है: _____

6. वर्तमान पद पर नियुक्ति की तिथि: _____

7. अधिकारी जिस सेवा से संबंधित है (जैसे, सीएसएस/सीएससीएस/राज्य सरकार / स्वायत्त निकाय आदि): _____

8. शैक्षिक अर्हता:

परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	विषय	प्राप्तांक	कुल अंक	प्रतिशत

9. अनुभव का विवरण (कालानुक्रम के अनुसार):

क्रम संख्या	कार्यालय/संगठन का नाम	धारित पद	(दिन/माह/वर्ष) से	(दिन/माह/वर्ष) तक	वेतन स्तर/ वेतनमान	ड्यूटी का प्रकार
1						
2						
3						

10. पद से संबंधित कोई प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम:

11. क्या आपके पास पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ हैं (हाँ/नहीं): _____

12. अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो:

13. पत्राचार का पता (पिन सहित):

14. संपर्क विवरण :

मोबाइल नंबर: _____

ईमेल आईडी: _____

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं प्रमाणित करती/करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सटीक और पूर्ण है। मैंने पद से संबंधित पात्रता शर्तों ध्यानपूर्वक से पढ़ ली हैं और मैं प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार पात्र हूँ।

दिनांक: _____

आवेदक के हस्ताक्षर: _____

स्थान: _____

नाम: _____

नियोक्ता/कार्यालय प्रमुख/अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती/सुश्री/श्री _____ द्वारा दिए गए विवरण सटीक हैं और उनके सेवा रिकॉर्ड के अनुसार रिक्ति परिपत्र में उल्लिखित उन्हें सभी शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव प्राप्त हैं।

1. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:-

- i. श्रीमती/सुश्री/श्री _____ के विरुद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है।
- ii. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित और असंदिग्ध है।
- iii. पिछले पाँच वर्षों (2020-21 से 2024-25) की एसीआर/एपीएआर की विधिवत सत्यापित फोटोप्रति संलग्न हैं।
- iv. *यह प्रमाणित किया जाता है कि पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ा/छोटा दंड नहीं लगाया गया है।
- v. *पिछले दस वर्षों के दौरान उन पर लगाए गए बड़े/छोटे दंडों की सूची संलग्न है।
(*जो लागू न हो उसे काट दें)

2. पिछले पाँच वर्षों में आवेदक की एसीआर/एपीएआर में दी गई समग्र ग्रेडिंग/संख्यात्मक ग्रेडिंग इस प्रकार है :-

वर्ष	समग्र ग्रेडिंग/संख्यात्मक ग्रेडिंग {शून्य (0) से दस (10) के पैमाने पर}
2020-21	
2021-22	
2022-23	
2023-24	
2024-25	

अग्रेषण प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नाम और पदनाम	
आधिकारिक मुहर	
पूरा कार्यालय पता	
अग्रेषण प्राधिकारी का ईमेल पता	
अग्रेषण प्राधिकारी का टेलीफोन नंबर/फैक्स नंबर	

दिनांक:

स्थान:

संलग्नकों की सूची:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद
श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली - 110016

www.ncert.nic.in

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

क्यार कोड

विज्ञापन संख्या 01-ए-12034/3/2025-ई-III अनुभाग

दिनांक: _____

रिक्ति सूचना

विज्ञापन संख्या 01/2025

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की आरंभिक और अंतिम तिथि निम्नानुसार है: -

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि :- _____

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :- _____

एनसीईआरटी मुख्यालय, नई दिल्ली और देश भर में स्थित इसकी संघटक इकाइयों में समूह 'ए', 'बी' और 'सी' श्रेणियों को अन्यत्र सेवा शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए भरने के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस अवधि को साल-दर-साल आगे बढ़ाया जा सकता है। विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	समूह	पद का नाम	वेतनमान/स्तर	पदों की संख्या	नियुक्ति का स्थान
1	ए	मुख्य उत्पादन अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 7600/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
2	ए	कला अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
3	ए	व्यवसाय प्रबंधक	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	2	आरपीडीसी, अहमदाबाद और गुवाहाटी
4	ए	सहायक उत्पादन अधिकारी	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
5	ए	सहायक व्यवसाय प्रबंधक	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
6	ए	वरिष्ठ अभियंता	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	सीआईईटी, नई दिल्ली
7	बी	भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4600/-	2	एनआईई, नई दिल्ली
8	बी	फोरमैन	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	3	एनआईई, नई दिल्ली
9	बी	संपादकीय सहायक	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	2	प्रकाशन प्रभाग पद (अंग्रेजी-1, हिंदी-1), नई दिल्ली
10	बी	सहायक भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	1	एनआईई, नई दिल्ली
11	बी	कलाकार ग्रेड-II	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	1	प्रकाशन प्रभाग, नई दिल्ली
12	सी	अर्ध व्यावसायिक सहायक	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	4	पुस्तकालय और प्रलेखन प्रभाग (एनआईई), नई दिल्ली

13	सी	भंडारपाल ग्रेड-I	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	8	एनआईई, नई दिल्ली
14	सी	कनिष्ठ फोरमैन	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	9	एनआईई, नई दिल्ली (शैक्षिक किट प्रभाग)
15	सी	कुशल मैकेनिक	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/-	7	एनआईई, नई दिल्ली (शैक्षिक किट प्रभाग)
16	सी	वरिष्ठ पुस्तकालय परिचर	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 1900/-	1	एनआईई, नई दिल्ली

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे एनसीईआरटी की वेबसाइट <https://www.ncert.nic.in> >घोषणाएँ > रिक्तियाँ > गैर-शैक्षणिक पर जाकर पदों, पात्रता शर्तों, वेतनमानों और अन्य निबंधन और शर्तों से संबंधित विस्तृत विज्ञापन और प्रोफॉर्म देखें या क्यूआर कोड स्कैन करें और उपर्युक्त रिक्तियों के लिए इच्छुक विभागों के भर्ती नियमों के अनुसार पात्रता की पुष्टि करें। साक्षात्कार की तिथि की सूचना परिषद की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय दी जाएगी।

विज्ञापन संख्या 01/2025

पदों के नाम, रिक्तियों की संख्या, शैक्षिक अर्हताएँ (अनिवार्य/वांछनीय), अनुभव (अनिवार्य/वांछनीय), वेतनमान, आयु सीमा आदि विवरण, प्रतिनियुक्ति आधार पर/अन्यत्र सेवा शर्तों के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए तथा आगे कार्य निष्पादन के आधार पर बढ़ाए जाने की संभावना के अनुसार निम्नवत हैं।

क्रम संख्या	पद	वेतनमान	रिक्तियों की संख्या	अपेक्षित अर्हता
1	मुख्य उत्पादन अधिकारी (समूह-ए)	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 7600/-	1	प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹ 6600 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

				<p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
2	कला अधिकारी (समूह-ए)	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों। अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹ 5400 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
3	व्यवसाय प्रबंधक (समूह-ए)	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	2	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों। अथवा ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹ 5400 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं,</p>

				<p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
4	सहायक उत्पादन अधिकारी (समूह-ए)	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹4200 में 08 वर्ष की/₹4600 में 03 वर्ष की/₹4800 में 02 वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
5	सहायक व्यवसाय प्रबंधक (समूह-ए)	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 5400/-	1	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹4200 में 08 वर्ष की/₹4600 में 03 वर्ष की/₹4800 में</p>

				<p>02 वर्ष की नियमित सेवा की हो</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
6	वरिष्ठ अभियंता (समूह-ए)	वेतन बैंड-III, ₹15600-39100 ग्रेड वेतन 6600/-	1	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹ 5400 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
7	भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-	2	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केंद्र सरकार / राज्य सरकार /</p>

(समूह-बी)	34800 ग्रेड वेतन 4600/-	<p>केंद्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों। अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹4200 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>		
8	फोरमैन	वेतन बैंड-II, ₹9300- 34800 ग्रेड वेतन 4200/-	3	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों। अथवा</p> <p>जिन अधिकारियों ने इस पद पर 06 साल की नियमित सेवा की हो और जिनका ग्रेड वेतन ₹2800 हो और जिनके पास निम्नवत शैक्षिक अर्हता हो।</p> <p>अनिवार्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. पर्यवेक्षी क्षमता में तीन साल के अनुभव के साथ मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या 2. उचित ट्रेड में 5 (पाँच) साल के अनुभव के साथ मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में तीन (3) साल के डिप्लोमा के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p>

				<p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
9	संपादकीय सहायक	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	2	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹2800 में 06 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छोटे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
10	सहायक भंडार अधिकारी	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	1	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹2800 में 06 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा</p>

				<p>नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
11	कलाकार ग्रेड-II	वेतन बैंड-II, ₹9300-34800 ग्रेड वेतन 4200/-	I	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹2800 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर ग्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
12	अर्ध व्यावसायिक सहायक	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	4	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों। अर्थात्</p> <p>अनिवार्य :</p> <p>पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में से किसी एक विषय के रूप में 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>1) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो (02) वर्ष का अनुभव।</p>

				<p>2) पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का ज्ञान</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹1900 में 03 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों</p> <p>अर्थात्</p> <p>अनिवार्य:</p> <p>पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में से एक विषय में 50% अंकों के साथ स्नातक</p> <p>चांछनीय:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में दो (02) वर्ष का अनुभव। 2) पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का ज्ञान <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
13	भंडारपाल ग्रेड-I	वेतन बैंड-I, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2800/-	8	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केंद्र सरकार / राज्य सरकार / केंद्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹2400 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम</p>

				56 वर्ष होगी
				<p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
14	कनिष्ठ फोरमैन	वेतन बैंड-1, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/-	9	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल कांडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹2400 में 05 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संबर्ग-जाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
15	कुशल मैकेनिक	वेतन बैंड-1, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 2400/-	7	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल कांडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹1900 में 08 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केंद्र</p>

				<p>सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>
16	वारिष्ठ पुस्तकालय परिचर	वेतन बैंड-1, ₹5200-20200 ग्रेड वेतन 1900/-	1	<p>प्रतिनियुक्ति आधार पर – ऐसे अधिकारी जो मूल काडर में केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय स्वायत्तशासी संगठन में नियमित आधार पर अनुरूप पद धारण किए हों।</p> <p>अथवा</p> <p>ऐसे अधिकारी जिन्होंने ग्रेड वेतन ₹1800 में 06 वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा जिन्हें सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ प्राप्त हों।</p> <p>टिप्पणी 1: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत इस नियुक्ति से ठीक पहले उसी या केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अधिकतम 56 वर्ष होगी।</p> <p>टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य से 1 जनवरी, 2006 से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा (जिस तिथि से संशोधित वेतन संरचना, छठे केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रभावी हुई) को संबंधित ग्रेड पे अथवा वेतनमान में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा। किन्तु ऐसे मामलों को छोड़कर, जहाँ एक से अधिक पूर्व संशोधित वेतनमानों का विलय कर एक समान ग्रेड पे अथवा वेतनमान प्रदान किया गया हो — इस स्थिति में यह लाभ केवल उन्हीं पदों के लिए मान्य होगा जिनके लिए वह ग्रेड पे अथवा वेतनमान सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो और जिनमें कोई उन्नयन न किया गया हो।</p>

* उपर्युक्त रिक्तियाँ अनंतिम हैं तथा इनमें किसी भी समय वृद्धि/कमी की जा सकती है।

योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित प्रपत्र में उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सतर्कता अनापत्ति, सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र तथा पिछले पाँच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियों सहित अग्रेषित किया जाना आवश्यक है।

पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र, नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ के साथ, अर्हता/अनुभव/ जाति प्रमाणपत्रों की स्व-अनुप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करते हुए संलग्न प्रपत्र में रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर उप सचिव (स्थापना-III अनुभाग), एनसीईआरटी, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली - 110016 के पते पर भेजें। आवेदन भेजते समय नियोक्ता द्वारा आवश्यक सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पिछले पाँच वर्षों की एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियाँ अनिवार्य रूप से भेजी जानी चाहिए। अपूर्ण आवेदन, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन तथा आवश्यक प्रमाणपत्रों एवं दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होंगे। हाथों/हाथ/व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर स्वीकार नहीं किए जाएँगे। उचित माध्यम से अग्रेषित न किए गए आवेदन तथा आवश्यक प्रमाणपत्रों एवं सुसंगत दस्तावेज के बिना प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।